न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए
प्रकरण संख्या:—121/2018

1. सचिव ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया जरिये सचिव सुखराजसिह पुत्र जीवनसिह जाति जटसिख निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—वादी

वनाम्

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

—प्रतिवादी

उपस्थित—श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
पैरोकार राज

## निर्णय

दिनांक :— 4/9/18

वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 28/99 संवत 2071—74 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम .506 है0 व चक नं0 3 एस.एस. डब्ल्यू के खाता सं0 47/45 संवत 2072—75 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के नाम 2.024 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमावन्दी संलग्न वादपत्र है जो वाद का आधार है।

वादपत्र के संलग्न दोनों चकूकों की जमावन्दीयों में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया अंकित है जो कि रजिस्टर्ड संस्थान है। वादी उक्त संस्थान का सचिव है। वादी राजस्व रिकार्ड में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के आगे सचिव नाम अंकित करवाना चाहता है क्योकि उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कृषि भूमि ठेका पर देने, इरारनामा करने, रजिस्ट्री करवाने इत्यादि कार्य हेतू मुझ वादी को सचिव अधिकृत किया गया है व राजस्व रिकार्ड में सचिव का नाम अंकित किया जाना अतिआवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में विशिष्ट पद का नाम न होने के कारण उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है। उक्त कृषि भूमि के हितों की रक्षार्थ हेतू राजस्व रिकार्ड में ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया के नाम के आगे सचिव अंकित करवाना चाहता है। सचिव का नाम अंकित होने से ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के नाम से अंकित कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय लिये जाने में सहायता रहेगी। प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 23.7.2017 को पारित प्रस्ताव सं0 2 वाद के साथ पेश किया है। इसलिए वादी दोनों चकूकों की जमावन्दीयो में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के आगे सचिव का नाम अंकित करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी में दर्ज ग्रामोत्थान विद्यापीट संगरिया के आगे सचिव अंकित करने का कहा तो कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया गया कि सचिव शब्द जोड़े जाने से स्टेट के कोई हित प्रभावित नहीं होते है। स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कोई आपति जाहिर नहीं की गई। जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया का सचिव है तथा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया नाम के आगे सचिव नाम अंकित किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादी द्वारा प्रबन्ध समिति द्वारा दिनांक 23.07.2017 को पारित प्रस्ताव सं0 2 व अध्यक्ष द्वारा पारित प्रस्ताव की नकल पेश की है। उक्त वाद में वादी का अनुतोष शिक्षण संस्था ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के नाम के आगे सचिव नाम अंकित करवाने का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 28/99 संवत 2071–74 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम .506 है0 व चक नं0 3 एस. एस. डब्ल्यू के खाता सं0 47/45 संवत 2072–75 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया के नाम 2.024 है0 कृषि भूमि में सचिव शब्द जोड़ा जावे यानि दोनो चकों के राजस्व रिकार्ड में सचिव, ग्रामोत्थान विद्यापीट संगरिया अंकित करने के आदेश दिये जाते है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक.....5/9/18.....को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेदसिंह रतनू )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner